

गोरखपुर मंडल

[भेजे जाने से पहले इस पर रू० के स्टैम्स, स्टैम्प - कार्यालय में लगाये जाने चाहिए अथवा समान मूल्य के न्यायेतर (नानजुडिशियल) स्टैम्प कागज पर इसकी नकल कर लेनी चाहिये।]

चूँकि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे आगे "निगम" सम्बोधित किया गया है, द्वारा श्री

..... के जीवन पर

विमित्त व्यक्ति का नाम

दिनांक को रू० की बीमा पालिसी सं० जारी की गई थी और चूँकि (बीमेदार का नाम) का सत्यनिष्ठापूर्वक निश्चित रूप से यह कहना है कि उक्त पालिसी सं० जो (खोने का संक्षिप्त विवरण) कारण खो गई और सिवाय ऐसे समनुदेशन के जिसकी सूचना निगम को पहले ही दी जा चुकी है न तो उसका समनुदेशन किया गया था, न उसे बन्धक रक्खा गया था और न उसे किसी अन्य प्रकार से व्यवहृत किया गया था और यदि मूल पालिसी / पालिसियाँ बाद में मिल जाती है/ हैं तो यह प्रतिरूप पालिसी / पालिसियाँ निगम को वापस कर देने के लिए वचनबद्ध होते हैं। और चूँकि उक्त निगम (बीमादार का नाम)..... को उक्त पालिसी सं० की प्रतिरूप पालिसी जारी करने को इस पर सहमत हो गया है कि सर्व श्री

(बीमादार, प्रतिभू, समनुदेशती जन)

निगम के साथ आगे दिए अनुसार प्रतिज्ञाबद्ध हो जायेंगे। अतः यह दस्तावेज इस बात का साक्षी है कि उपरोक्त इकरारनामे के अनुसार तथा इस बात को ध्यान में रखकर कि निगम दस्तावेज के क्रियान्वित किये जाने पर श्री को प्रतिरूप पालिसी जारी कर देगा। सर्व श्री

(बीमादार, प्रतिभू, समनुदेशती)

निगम उसके उत्तराधिकारी एवं प्रसनुदेशतियों के साथ प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। कि वे स्वयं

(बीमादार, प्रतिभू, समनुदेशती)

उसके/उनके उत्तराधिकारी, कारिन्दे, तथा प्रशासक निगम एवं उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशतियों की समय-समय पर तथा सदैव सभी प्रकार की कार्यवाहियों मुकदमों, व्यय, दावों एवं किसी भी प्रकार की माँग से बचायेंगे, हानिरहित रखेंगे और उस क्षति को पूर्ति करेंगे जो निगम उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशतियों के विरुद्ध किन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा मूल पालिसी सं के दस्तावेज पर कब्जा होने के कारण अथवा उसमें किसी उल्लेख के होने के कारण उत्पन्न होंगे।

ने आज स्थान में दिनांक माह

..... 20 को हस्ताक्षर किये।

अन्तः वर्णित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित व प्रस्तुतः

1.

(बीमादार का नाम)

1.

(बीमादार के हस्ताक्षर)

2.

(समनुदेशती का नाम)

2.

(समनुदेशती के हस्ताक्षर)

3.

(प्रतिभू का नाम)

3.

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

व्यवसाय

पता

इस साक्षियों की उपस्थिति में :

1. साक्षी :

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

व्यवसाय :

पता :

2. साक्षी :

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

व्यवसाय :

पता :

3. साक्षी :

हस्ताक्षर :

पूरा नाम :

व्यवसाय :

पता :

द्रष्टव्य : यदि ये अनुबन्ध पत्र हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में हस्ताक्षर किय जायें तो हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी एक से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि यह प्रमाणित कर दें कि इस अनुबन्ध पत्र का विवरण भरें जाने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति को सबके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में भलीभाँति समझा दिया गया था।